

अनुमति की शर्त ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एक्यू अर्बुकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 48 दिनांक 25/04/2019

प्राधान्य समिति सुडडी व/0 श्री स्वर्ण चन्द

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घाटा 193 के अन्तर्गत आवासीय

भवन निर्माण हेतु नगर निगम कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6,677/- जमा है

जरिये रसीद संख्या 1005/676, 677

दिनांक 25/04/19 को जमा करा ही है।

(Signature)

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

P. No: 1/170 मधुवन
डा. अरवि चोई थोका

Received
Rajesh Choudhary